<u>न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट–II, देवबन्द, सहारनपुर।</u>

वाद संख्या–333/2024

सरकार बनाम जावेद।

मु०अ०सं०–181/2008
अंतर्गत धारा–307 भा०द०सं०
थाना–नानौता, सहारनपुर।

<u>दिनांक–23.06.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त अनुपस्थित।

प्रस्तुत प्रकरण मु0अ0सं0 181/2008 अन्तर्गत धारा 307 भा०द०सं० थाना नानौता में न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 2008 से लंबित है एवं अत्यन्त प्राचीन है। उक्त पत्रावली के अन्य अभियुक्तगण नौशाद, नदीम व फुरकान की पत्रावली पृथक कर माननीय सत्र न्यायालय सुपुर्द की जा चुकी है। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किये गये हैं, जिस पर प्राप्त थाने की आख्यानुसार "अभियुक्त जावेद लगभग 13–14 वर्ष से लापता है।" जिसके संबंध में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत बराला, वि.ख. कैराना (शामली) की तहरीर संलग्न है। उक्त तहरीर के अनुसार "जावेद पुत्र सलीम शेख निवासी कुकरहेडी मजरा बराला थाना कैराना जिला शामली का मूल निवासी था जो लगभग 13–14 वर्ष पहले गाँव से लापता है जिसका कोई सही पता मालूम नहीं है।"

अभियुक्त के विरुद्ध धारा 82 द०प्र०सं० की कार्यवाही भी की गयी है, जिस पर थाना हाजा की आख्यानुसार "धारा–82 CRPC की छायाप्रति सार्वजनिक स्थानों थाना कैराना/न्याय परिसर में चस्पा की गयी एवं मस्जिद के लाउडस्पीकर से उद्घोषणा आदि कराई गई।"

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त लगातार अनुपस्थित है तथा अभियुक्त की उपस्थिति हेतु अनेक बार आदेशिकायें प्रेषित किये जाने के बावजूद भी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। थाने की आख्यानुसार अभियुक्त जावेद करीब 13–14 वर्ष से लापता है। प्रस्तुत पत्रावली प्राचीनतम पत्रावलियों की श्रेणी में आती है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त जावेद पुत्र सलीम शेख को फरार अपराधी घोषित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

1. मु0अ0सं0 181/2008, अन्तर्गत धारा 307 भा०द०सं०, थाना नानौता, जिला सहारनपुर में अभियुक्त जावेद पुत्र सलीम शेख के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किया जाता है जो संबंधित थानाध्यक्ष को प्रेषित हो।

2. सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अभियुक्त जब भी गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी उपस्थिति न्यायालय समक्ष कराना सुनिश्चित करें।

3. अभियुक्त जावेद पुत्र सलीम शेख यदि भविष्य में उक्त एन.बी.डब्ल्यू. के अनुपालन में निरूद्ध होता है तो प्रस्तुत वाद की कार्यवाही इसी स्तर से प्रारम्भ होगी। इस आदेश की एक प्रति सूचनार्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को प्रेषित हो।

क्रमशः... ... .

4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को तद्नुसार पत्र प्रेषित हो कि स्थायी वारन्ट सम्बन्धित थाने के रजिस्टर में चस्पा कराया जाए।

5. पत्रावली को लाल रिबन में बांधकर **'कभी नष्ट न किये जाने योग्य पत्रावली'** अंकित कर नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार किया जाए। अभिलेखपाल को आदेशित किया जाता है कि वह इस पत्रावली को सुरक्षित रखे। अभियुक्त के गिरफ्तार होने पर अथवा आत्मसमर्पण कर न्यायालय में उपस्थित होने की दशा में पत्रावली अभिलेखागार से तलब की जाएगी।

6. General Rules Criminal (Amendment) 2019 के नियम 116–ई के तहत स्केलेटन पत्रावली तैयार की जाए जिसमें आवश्यक प्रपत्रों जैसे इस आदेश की प्रति, स्थायी वारंट की प्रति आदि रखी जाए। स्केलेटन पत्रावली विविध मामले के रूप में पंजीकृत हो और संबंधित पुलिस स्टेशन/पुलिस अधिकारी से अभियुक्त की गिरफ्तारी के बारे में हर छः महीने के बाद पूछताछ के लिए चालू रखा जाए, जिनमें संबंधित वारंट निर्देशित किया गया है। कार्यालय लिपिक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे।

(गौरव दीप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट II
देवबंद, सहारनपुर।
UP3741